6/10/25

वकील पक्षकारान उप०। दावा वादी खारिज किया जाता है। जिसका निर्णय पृथक से रजिस्टर में शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत सुनाई होकर नकल के [illegible] उचित है। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2025.12.22 10:48:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

मंदिर गोविन्द देवजी विराजमान अनाज मंडी करौली व अहतमाम पंच अग्रवालान जरिये प्रबंधक एवं नेक्राफेन्ड मनोहरलाल पुत्र मुरारीलाल, नेमीचंद पत्रु त्रिलोक चंद जाति महाजन निवासी करौली
–वादी

बनाम

1.रामस्वरूप पुत्र गुजरमल जाति महाजन निवासी वजीरपुर गेट करौली (फौत)
1/1. श्रीमती गीता पत्नि रामस्वरूप
1/2. जगदीश प्रसाद पुत्र रामस्वरूप
1/3. बृजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामस्वरूप
1/4. दिनेश पुत्र रामस्वरूप
1/5. योगेश पुत्र रामस्वरूप
1/6. किरण देवी पुत्री रामस्वरूप
1/7. सुमन उर्फ ज्ञानो पुत्री रामस्वरूप
2.लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, करौली

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा व खातेदारी व दखल व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 128/14

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम प्रकाश गर्ग**, एडवाक मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री श्याम सुन्दर शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता ह विवाद्यक संख्या 7 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादी वादग्रस्त भूमि को वादी मंदिर खातेदारी व कब्जे खुदकाश्त की साबित करने में असफल रहे है। दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है। अत दा वादी विरूद्व प्रतिवादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जा हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदम मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 6.10.2025 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुलफरिक		
मुलफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2025.12.22 10:48:46
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना अधिकारी (RAS)

मु0न0:-128/14

तारीख रजु: 31.12.2014

उनवान

मंदिर गोविन्द देवजी विराजमान अनाज मंडी करौली व अहतमाम पंच अग्रवालान जरिये प्रबंधक एवं नेक्सटफ्रेन्ड मनोहरलाल पुत्र मुरारीलाल, नेमीचंद पत्रु त्रिलोक चंद जाति महाजन निवासी करौली

–वादी

बनाम

1.रामस्वरूप पुत्र गुजरमल जाति महाजन निवासी वजीरपुर गेट करौली (फौत)

1/1. श्रीमती गीता पत्नि रामस्वरूप

1/2. जगदीश प्रसाद पुत्र रामस्वरूप

1/3. बृजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामस्वरूप

1/4. दिनेश पुत्र रामस्वरूप

1/5. योगेश पुत्र रामस्वरूप

1/6. किरण देवी पुत्री रामस्वरूप

1/7. सुमन उर्फ ज्ञानो पुत्री रामस्वरूप

2.लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, करौली

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा व खातेदारी व दखल व स्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verifie
Digitally signed by Prem R
Date: 2025.12.22 10:48:46
Reason: SelfAttested

–::निर्णय::–

उक्त प्रकरण माननीय राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 10.11.2009 से पुनः तनकीवार विवेचन कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने के लिये प्राप्त हुआ है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ठा0 गोविन्द देवजी सास्वत नाबालिग है और वादीगण मंदिर गोविन्द देवजी के प्रबंधक है मंदिर के हित में काश्त जमीन के संचालन सुरक्षा व वादपत्र प्रस्तुत करने के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

लिए पंच अग्रवालान करौली की आरे से अधिकृत है। आराजी खसरा नंबर 139 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नंबर 140 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 141 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 142 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा वाके कस्बा करौली की वादी की माफी व खुदकाश्त की भूमि है। माफी जब्त होने पर विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार वादी रहा है। प्रतिवादी नंबर 1 वादी ठा0 जी की ओर से साल दर साल लगान पर काश्त करता रहा है। सेटलमेंट के वक्त प्रतिवादी नंबर 1 ने सेटिलमेंट कर्मचारियों से मिल कर बिना किसी आधार के खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली और ठा0 के अधिकारों से माच, 95 से साफ इंकार हो गया। वादी को नकल जमाबंदी लेने पर खातेदारी के इन्द्राज का पता चला ये सारी कार्यवाही वादी के हकूकों पर बेअसर व प्रभावहीन है। प्रतिवादी के हक में कोई हस्तान्तरण वादी द्वारा नहीं किया गया है ना ही कानूनन हो सकते है। इसलिए वादी के हकों पर प्रभाव शून्य है। प्रतिवादी उक्त भूमि पर रेन्ट ट्रेस पासर है प्रतिवादी को कब्जा बनाये रखने का कोई कानूनी हक नहीं है। वादी ने प्रतिवादी से कब्जा वापस देने को कहा तो इंकार हो गया और आराजी को हस्तान्तरण करने को ऐलानियां धमकी दी है। प्रतिवादी अनुचित तौर पर आराजीयात की स्थिति को परिवर्तन करने पर आमदा है और वृक्षों को काटने पर उतारू है। जिससे ठाकुरजी को बेजा नुकसान है। अतः वादी के नाम खातेदारी काश्तकारों को घोषणा की जाकर प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाया जावे व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। प्रतिवादी ने अपने जबाव दावे में दावे को अस्वीकार करते हुए उजात मजीद में बतलाया है कि मंदिर गोविन्द देवजी को व पंच महाजनान को दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। पंच महाजनान व मंदिर को दायरी दावे का हक व कब्जा वापिस का हक दावे से पूर्व ही समाप्त हो चुके है। दावा दखल की मयाद 12 साल दायरी दावे से पूर्व समाप्त हो चुकी है। इसलिए दावा बेरून मयाद पेश कि है। जमीन मु[illegible] गोविन्द देवजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की नहीं रही है। इस जमीन को करौ[illegible] स्टेट व अन्य ने माफी में नहीं दी और ना ही कभी का[illegible] यह नहीं बतलाया है कि विवादित आराजी माफी मंदिर में कैसे आई किसने दी और किस प्रकार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। माफी के इन्द्राज जमाबंदी में नहीं है और नाही किसी प्रकार का पट्टा मंदिर की ओर से पेश किया गया है। वादी ने प्रतिवादी को साल दर साल काश्त करना बतलाया है बिल्कुल गलत है। प्रतिवादी इन आराजीयात पर बहैसियत खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2025.12.22 10:48:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

काबिज चला आ रहा है। इन अल्टरनेटिव कब्जा मुखालफाना है जो पचासों साल से एडवर्स व होस्टाईल पजेशन रहा है। अतः दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण ने अभिवचनों के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गयी।

1. आया आराजीयात खसरा नंबर 139, 40, 141, 142 वाके कस्बा करौली की है।

–वादी

2. आया वादी आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है।

–वादी

3. आया वादी प्रतिवादी से दखल प्राप्त करने का अधिकारी है।

–वादी

4. आया दावा वादी बेरून मयाद है। –प्रतिवादी

5. आया मंदिर श्री गोविन्द देवजी की दावा करने के कोई हक हकूक हांसिल नहीं है। –प्रतिवादी

6. आया पंच महाजनान को भी दावा करने का कोई कानूनी हक नहीं है।

7. अनुतोषः–

वाद विवाद्यक बिन्दु वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी मनोहरलाल पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2052–55 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 प्रदर्श–2 एवं नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–3 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य वादी बंद कर समाप्त की गई।

साक्ष्य प्रतिवादीगण में प्रतिवादी ने प्रतिवादी रामस्[illegible] डीडब्ल्यू–1, एवं गवाह छोटेलाल डीडब्ल्यू–2, गवाह [illegible] डीडब्ल्यू–3, गवाह मूला डीडब्ल्यू–4 एवं गवाह जगदीश डीडब्ल्यू–5 के बयान लेखबद्व कराये एवं दस्तावेजी सबूत में नकल आदेश दिनांक 15.02.2025 भू–अभिलेख करौली प्रदर्श ए–5 एवं नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श ए–1, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–डी–1, नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श डी–4, नकल खसरा गिरदावरी प्रदश डी–2, नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem F
Date: 2025.12.22 10:48:4
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खसरा गिरदावरी संवत 2010–13 प्रदर्श डी–3 एवं परिपत्र दिनांक 24.05. 2007 प्रदर्श डी–6 एवं प्रदर्श–7 मंदिर को मिले जागीर कमिश्नर के मुआवजे की नकल एवं भेज रसीद प्रदर्श डी–8 व डी–9 पेश कर प्रदर्शित कराये।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि विवादित आराजीयात वादी के खाते व कब्जे का है। सेटिलमेंट के वादी के इन्द्राज बदलने का कोई हक नहीं था गलत तरीके से खातेदारी बदल दी गई है। प्रतिवादी का जमीन से कोई संबंध नहीं है बतौर ट्रेसपासर की हैसियत से काबिज है। वादी की ओर से जमाबंदी संवत 2010–13 बमिलान क्षेत्रफल पेश किए है जो परसादी लाल महाजन की पेश की गई है जो विवादित जमीनों में 28 बिस्वा की है। शेष जमीनों के बारे में प्रतिवादी की ओर से संवत 2012 टेनेन्सी एक्ट लागू होने के समय की जमाबंदी पेश नहीं की गई है। परसादी लाल महाजन प्रतिवादी का कोई रिश्तेदार नहीं है न प्रतिवादी का उससे कोई संबंध है। विक्रेता गोरखों से भी कोई संबंध नहीं है। परसादी लाल वादी ठा0 जी के व्यवस्थापक थे जिसके लिए प्रतिवादी ने अपने बयान में मना भी नहीं किया है। संवत 2010–13 में वादी रिकॉर्डेड खातेदार था टेनेन्सी एक्ट की धारा 5 (23) व 5 (25) के अनुसार नाबालिग की ओर से कोई व्यक्ति काश्त करता है तो वह नाबालिग के खुदकाश्त की मानी जावेगी। प्रतिपादित सिद्वान्त भी है कि ठाकुरजी के जमीनों को खरीद बेचान से किसी प्रकार के कानूनी हक प्राप्त नहीं होते है। वादी शाश्वत नाबालिग है और नाबालिग की ओर से कोई भी व्यक्ति दावा ला सकता है। बशर्ते की उसका ठाकुरजी के हकूकों से कोई एडवर्स इन्ट्रेस्ट नहीं हो। अन्त में दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि विवादित खसरा नंबर 139 लगायत 142 के साबिक खसरा नंबर 154, 155/1, 155/2, 156, 160, 161, 158, 159, 162मी, 165, 164, 278मी, 279, 280, 291, 288, 293, 289, 290 व 287 है। वादी स्वंय अपने वादपत्र में प्रतिवादी को लगान पर जोतना बतलाता है और खातेदारी प्रतिवादी द्वारा गलत वनवा लेना बतालाता है। प्रतिवादी ने अपने जबाव में जमीन खुद काश्त की बतलाई है पंच अग्रवाल की ओर से दावा लाने का हक नहीं है। प्रतिवादी ने इस जमीन को पूर्व

Signature Not Ver
Digitally signed by Pre
Date: 2025.12.22 10:48
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

खातेदार गोरखी से खरीदा है। उसके बाद खातेदारी दर्ज हुई है। प्रतिवादी बाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। गोरखी बतौर खातेदार पचासों साल से चला आ रहा है। प्रतिवादी द्वारा नकल जमाबंदी परसादी लाल को पेश की गई है। सेटिलमेंट से पूर्व ही परसादी लाल का नाम दर्ज है मंदिर के नाम जमीन नहीं है। वादी द्वारा इरादतन दूसरे खेतों को जो मंदिर के नाम नहीं है। दावे में शामिल कर लिया है। पीडब्ल्यू–1 खुद बयान में यह बतलाने में असमर्थ रहा कि ठाकुरजी के कुल कितने खेत है प्रतिवादी का कौन–कौनसे खसरा नंबर पर कब्जा है व कब्जा कब से चला आ रहा है बतलाने में असमर्थ रहा है। लगान के बारे में मंदिर में जमा होने की कहता है। प्रतिवादी को सेटलमेंन्ट से पूर्व ही लगान पर जोतना बतलाया है कब्जा एडमिट करते है। इसलिए जमीन ठाकुरजी की खुद काश्त की नहीं मानी जा सकती है। वादी ने अपने बयान में गोरखों को जोतना बताया है मंदिर के पास यह जमीन कैसे आई इसे बताने में असमर्थ रहा है। स्वंय वादी ने दावे में वर्णित तथ्यों को डिनाईन किया है। प्रदर्श–3 इस्तमुरार जाहिर करती है। जागीर जप्त होने के वाद वादी को कोई हक जमीन में नहीं रहते है। वादी ने ऐसी कोई सहादत पेश नहीं की है कि पंच लोग आराजी को काश्त करते हो और मंदिर की ओर से जोतने का हक रखते हो। प्रतिवादी की ओर से स्वंय के बयान गवाह छोटे, सिविल व जगदीश व मूला धोबी के बयान कराये है जो काफी बुजुर्ग है उन्होंने कब्जा प्रतिवादी होना बताया है। वादी की ओर से राज0 पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में मंदिर की संपत्ति की सूची में इन जमीनों का इन्द्राज हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। वकील प्रतिवादी ने आर0आर0डी0 2000 पेज 14 डी0एन0जे0 2000 पेज 528, 1996 (1) एस0सी0सी0 पेज 612 की नजीरे पेश की एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का परिपत्र दिनांक 24.05.2007 प्रदर्श डी–6 पेश किया है एवं वादी मंदिर को जागीर कमिशनर द्वारा दिये गये मुआवजे की नकल प्रदर्श डी–7 पेश की है एवं लगान रसीद प्रदर्श डी–8 व डी–9 पेश की है। प्रदर्श डी–6 में पैरा नंबर 3 में "मंदिरों को माफी भूमि जागीर के रू[illegible] में भी दी गई थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों को निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत किया गया। जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी भी व्यक्ति के पास पट्‌टेद्वार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी। उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के

Signature Not Verif
Digitally signed by Prem
Date: 2025.12.22 10:48:
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.91 अनुसार में ऐसी भूमियों को वापस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।''

''जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में अनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलाएगा'' उक्त समस्त तथ्यों से दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 व 2 जो एक–दूसरे के पूरक है। इनका एक साथ विवेचन किया जाना उचित है। विवाद्यक संख्या 1 के संबंध में वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पीडब्ल्यू–1 मनोहर लाल के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2052–55 प्रदर्श–1, मिलान क्षेत्रफल संवत 2015 प्रदर्श–2 व नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–3 पेश की है। जिसमें प्रदर्श–3 में कॉलम नंबर 5 में इस्तमुरार मंदिर श्री गोविन्द देवजी व अहतमाम महाजनान अग्रवाल वाके कस्बा करौली दर्ज है एवं जबकि खसरा गिरदावरी में कॉलम नंबर 6 में लोहरे गुजर व परसादी काछी का नाम भी दर्ज है। इसके खण्डन में प्रतिवादी द्वारा जागीर कमिशनर के मुआवजा की सूची प्रदर्श डी–7 पेश की है। जिसमें जागीर कमिशनर द्वारा ए से बी भाग में वादी मंदिर को भूमि का मुआवजा देने का इन्द्राज दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त जागीर एवं पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के तहत जब्त हो चुकी है और इस अधिनियम के तहत प्रतिवादी के साबिक जागीरदार [illegible] भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा हो वादी का स्वीकृत है। ऐसी स्थिति में वादी विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2025.12.22 10:48:46
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी ने विवाद्यक संख्या 1 व 2 को अपने साक्ष्य साबित नहीं करने के कारण वादी वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी से दखल प्राप्त करने के हकदार नहीं है। वादी द्वारा यह दावा प्रतिवादी के विरूद्व सेटलमेंट संवत 2015 के इन्द्राज को चुनौती देने का वाद 35 वर्ष की अवधि के बाद पेश किया है। कब्जा वापिसी की समय सीमा अवधि 12 वर्ष समाप्त हो चुकी है। वादी भूमि का अपने आपको खातेदार काश्तकार साबित करने में असफल रहे है। अतः विवाद्यक संख्या 3 वादी के विरूद्व प्रतिवादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने पुराने कब्जे के संदर्भ में नकल जमाबंदी संवत 2010–13 पेश की है जिसमें खाता परसादी लाल महाजन के नाम अंकित है। प्रतिवादी गवाह छोटे, सिविल, मूला व स्वंय प्रतिवादी रामस्वरूप व जगदीश ने कब्जा पूर्व में गोरखी कहार का होना बताया है एवं उसके बाद 35–40 साल से कब्जा प्रतिवादी होना बताया है। वादी द्वारा विवादित आराजीयात वादी मंदिर की खुदकाश्त हो ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। इस प्रकार भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा मुखालपाना है। जो 12 वर्ष से अधिक अवधि का है। इस दावा वादी धारा 183 आर टी एक्ट म्याद बहार है। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी के पक्ष में वादी के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 व 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर है। प्रतिवादी ने इस संबंध में कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वादी मंदिर व पंच महाजनान को दावा दायर करने का हक नहीं हो। मंदिर निजी या सरकारी है। इस प्रकार का कोई दस्तावेज प्रतिवादी ने पेश नहीं किया है। मंदिर की ओर से कोई भी व्यक्ति दावा दायर कर सकता है। अतः विवाद्यक संख्या 5 व 6 प्रतिवादी के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 7 अनुतोष है। विवाद्दाक संख्या 1 व 2 के विवेचन से वादी वादग्रस्त भूमि को वादी मंदिर के खातेदारी व कब्जे खुदकाश्त की साबित करने में असफल रहे है। दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.10.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2025.12.22 10:48
Reason: SelfAttested